संख्याः 1621 / 33--3--13--127 / 2013

प्रेषक,

जावेद उस्मानी,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी
जनपद--अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, बहराइच, बलरामपुर, बांदा, बाराबंकी, बस्ती, बदायूं, चन्दौली, चित्रकूट, एटा, फर्रूखाबाद, फतेहपुर, गोण्डा, गोरखपुर, हमीरपुर, हरदोई, जालौन, जौनपुर, कौशाम्बी, कुशीनगर, लखीमपुर खीरी, ललितपुर, महराजगंज, महोबा, मिर्जापुर, प्रतापगढ़, रायबरेली, संतकबीरनगर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, कासगंज, सीतापुर, सोनभद्र एवं उन्नाव।

पंचायतीराज अनुभाग--3 लखनऊः दिनांक 21 जून, 2013

विषयः--पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के अन्तर्गत वर्ष 2013--14 में केन्द्रीय सहायता प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2013--14 में बी0आर0जी0एफ0 जनपदों हेतु कुल अनुमन्य धनराशि रू0 818.17 करोड़ प्राप्त किए जाने हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला परियोजना प्रबंध इकाई को उत्तरदायी बनाया गया है। उल्लेखनीय है कि बी0आर0जी0एफ0 योजना भारत सरकार द्वारा शत--प्रतिशत वित्त पोषित योजना है जिसके अन्तर्गत योजना से आच्छादित पिछड़े जनपदों को क्रिटिकल गैप्स की पूर्ति के साथ अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु अतिरिक्त संसाधन प्राप्त होते हैं। भारत सरकार से उक्त केन्द्रीय सहायता तभी प्राप्त होगी जब जनपदों द्वारा जिला योजना समिति द्वारा अनुमोदित वार्षिक कार्ययोजना एवं उपभोग प्रमाण पत्र समय से प्रस्तुत कर दिये जाएं। अतः वर्ष 2013--14 में इस महत्वपूर्ण योजना के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन एवं केन्द्र सरकार से शत प्रतिशत् अनुमन्य सहायता प्राप्त करने के उद्देश्य से निम्नलिखित निर्देश दिये जाते हैः--

1. वर्ष 2013--14 की वार्षिक कार्य योजना के सबंध में यह सुनिश्चित किया जाए कि 25 जून, 2013 से पूर्व जिला योजना समितियों का अनुमोदन प्राप्त कर कार्ययोजनाएं अन्य सुसंगत अभिलेखों सहित परियोजना प्रबन्ध इकाई, पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत कर दी जाएं ताकि परीक्षणोपरान्त उसे भारत सरकार को प्रस्तुत किया जा सके।
2. इस महत्वपूर्ण योजना को गति प्रदान करने के उद्देश्य से जिला योजना समितियों द्वारा अनुमोदित कार्यों / परियोजनाओं की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत करने हेतु शासनादेश सं0 612 / 33--3--2013--59 / 2013 दिनांक 22.2.2013 द्वारा जिला मजिस्ट्रेट को अधिकृत किया जा चुका है। उक्त शासनादेश निर्गत होने के 03 माह उपरान्त भी

Gen I

विभिन्न जनपदों में संलग्न विवरण के अनुसार माह मई, 2013 तक गत वर्षों की कुल रू0 237.23 करोड़ की परियोजनाओं की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियां अवशेष हैं जो अत्यन्त आपत्तिजनक है तथा स्पष्ट करता है कि सम्बन्धित जनपदों में जिला परियोजना प्रबन्ध इकाई के स्तर पर कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण में अपेक्षित रूचि नहीं ली जा रही है। स्वीकृतियों के अभाव में जनपद स्तर पर अवशेष धनराशि का उपभोग न हो पाने के कारण केन्द्र सरकार को उपभोग प्रमाण पत्र भेजा जाना सम्भव नही हो पा रहा है जिसका प्रतिकूल प्रभाव वर्तमान वर्ष की केन्द्रीय सहायता पर पड़ेगा। सम्बन्धित जिलाधिकारी तत्काल कार्यक्रम की समीक्षा कर लें तथा अवशेष धनराशि के सापेक्ष जिला योजना समिति से अनुमोदित कार्यों/परियोजनाओं की नियमानुसार स्वीकृतियां एक सप्ताह में निर्गत करते हुए धनराशि का उपभोग सुनिश्चित कराएं।

अतः जनपदवार वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृतियों हेतु अवशेष धनराशि का विवरण संलग्न करते हुए आपसे अपेक्षा की जाती है कि उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए केन्द्र सरकार से वर्ष 2013–14 की धनराशि प्राप्त करने हेतु वार्षिक कार्ययोजना तथा उपभोग प्रमाण पत्र परियोजना प्रबन्ध इकाई, पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि को 25 जून, 2013 तक अवश्य प्रस्तुत कर दिया जाए।

संलग्नकःयथोपरि।

भवदीय,

(जावेद उस्मानी)
मुख्य सचिव।

संख्याः /33–3–13–127/2013 तददिनांक।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त मण्डलायुक्त, बी0आर0जी0एफ0 मण्डल।
2. परियोजना निदेशक, पी0एम0यू0, बी0आर0जी0एफ0 लखनऊ।
3. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, बी0आर0जी0एफ0 जनपद।
4. समस्त मण्डलीय उपनिदेशक, पंचायत, बी0आर0जी0एफ0 मण्डल।
5. समस्त अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत बी0आर0जी0एफ0 जनपद।
6. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, बी0आर0जी0एफ0 जनपद।
7. पंचायतीराज अनुभाग–2
8. गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से

(भरत लाल राय)
विशेष सचिव।

Gen 1